न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3080–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 426/2014–15/अपील.

1– मातादीन पुत्र बाबरिया

2– बालकिशन पुत्र बाबरिया

3– रामबाई पुत्री बाबरिया

4– रामबती पुत्री बाबरिया

निवासीगण ग्राम दौरार

तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामहेत पुत्र बाबरिया

2– मुन्नीबाई पुत्री बाबरिया

निवासीगण ग्राम दौरार

तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/3/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोहना स्थित भूमि सर्वे कमांक 2882 मिन–2 रकबा 1.881 हेक्टेयर भूमि का बंटन दिनांक 4–4–2002 को अपर तहसीलदार, वृत घाटीगांव द्वारा बाबरिया पुत्र फुस्सी जाटव के नाम व्यवस्थापन किया गया । बाबरिया की मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 1 रामहेत द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, और उसके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष मृतक बाबरिया का इकलौता पुत्र होने का तथ्य उल्लेखित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पत्र पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका कमांक 2 द्वारा भी मृतक बाबरिया का वारिसान होने के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18–5–2015 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए मृतक भूमिस्वामी बाबरिया के स्थान पर अनावेदकगण का नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–7–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) मृतक भूमिस्वामी मृतक बाबरिया वास्तव में आवेदकगण विधिक वारिसान हैं, और अनावेदकगण मृतक बाबरिया के वारिसान नहीं हैं । इस आधार के समर्थन में आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में अनेक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है ।

(2) अनावेदकगण वास्तव में मृतक भूमिस्वामी बाबरिया के विधिक उत्तराधिकारी नहीं हैं, इस संबंध में अनेक दस्तावेजों का उल्लेख लिखित तर्क में किया गया है ।

(3) संहिता की धारा 164 के अधीन बाबरिया के हितों का न्यायगमन अनावेदकगण को नहीं हुआ है ।

(4) मृतक भूमिस्वामी बाबरिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं किया गया है, और विधि के प्रभाव से उक्त भूमि आवेदकगण का न्यायगत हो गई हैं, अतः नामांतरण नहीं करने से आवेदकगण के स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं । इस प्रकार बिना हक के किये गये नामांतरण से भी जिसके पक्ष में नामांतरण किया गया है, उसे किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(5) अनावेदकगण द्वारा फर्जी रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर अपना नामांतरण कराया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1991 आर.एन. 131 (उच्च न्यायालय), 2014 आर.एन. 361 (उच्चतम न्यायालय), 2006 जे.एल.जे. 166 (उच्च न्यायालय) एवं 2012 आर.एन. 118 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण का यह कथन मिथ्या है कि वे मजदूरी करने हेतु ग्राम दौरार में चले गये थे, और वे मोहना के निवासी हैं, इस संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी फर्जी हैं, क्योंकि आवेदकगण यदि मजूदरी करने गये थे, तब आवेदकगण को इतनी इंकम कैसे हो गई कि उनके द्वारा आयकर विभाग का पेनकार्ड बनवाया गया है, और वे मोटरसाईकिल से सफर करने लगे तथा चार साल के अन्दर आयकर भी अदा करने लगे । इससे स्पष्ट है कि वे मजदूरी करने नहीं गये थे एवं ग्राम मोहना में ही निवास करते थे।

(2) आवेदकगण, अनावेदकगण की भूमि हड़पने के उद्देश्य से षडयंत्र कर फर्जी कार्यवाही की जा रही है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा नामांतरण के समय सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जो सही पाये जाने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्का में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बाबरिया को प्रश्नाधीन भूमि का पटटा दिया गया है और उभयपक्ष अपने को बाबरिया के पुत्र पुत्रियां होकर वारिस बता रहे हैं, परन्तु उभयपक्ष द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि वास्तव में बाबरिया का वारिस कौन है । इस तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में स्वीकार किया गया है । इसके बावजूद अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का नये सिरे से गुणदोष पर निराकरण करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर